



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271500  
CG-DL-E-02042026-271500

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1636]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1636]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

**का.आ. 1701(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उड़ीसा राज्य के रायगड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 326 के कि.मी 68.600 से कि.मी . 162.700 और कि.मी 174.800 से कि.मी 183.732 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, रामनागुड़ा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

उड़ीसा राज्य के रायगड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 326 के कि.मी. 143 से कि.मी. 162.7 (रामनागुड़ा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: रायगड़ा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रामनागुड़ा					
गांव का नाम: अंतरझोलि					
1	66/2	सरकारी	एग्रीकल्चर	1.285 (एकर )	0.5200324
2	75	निजी	एग्रीकल्चर	1.62 (एकर )	0.655605
गांव का नाम: गोपालपुर					
3	214	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.023 (एकर )	0.009308
4	215	निजी	एग्रीकल्चर	0.09 (एकर )	0.0364225
5	216	निजी	एग्रीकल्चर	0.023 (एकर )	0.009308
6	217	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.797 (एकर )	0.3225415
7	218	निजी	एग्रीकल्चर	0.209 (एकर )	0.0845811
8	219	निजी	एग्रीकल्चर	0.24 (एकर )	0.0971267
9	223	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.332 (एकर )	0.1343586
10	3/1	सरकारी	एग्रीकल्चर	1.844 (एकर )	0.7462566
गांव का नाम: बड़बांगी					
11	143	निजी	एग्रीकल्चर	0.022 (एकर )	0.0089033
12	144	सरकारी	एग्रीकल्चर	3.472002 (एकर )	1.405099
13	242	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.02 (एकर )	0.0080939
14	243	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0070001 (एकर )	0.0028329
15	29	निजी	एग्रीकल्चर	0.0090001 (एकर )	0.0036423
16	30	निजी	एग्रीकल्चर	0.6810002 (एकर )	0.2755969
17	31	निजी	एग्रीकल्चर	0.6309995 (एकर )	0.2553622
18	33	निजी	एग्रीकल्चर	0.003 (एकर )	0.0012141
19	34	निजी	एग्रीकल्चर	0.2230001 (एकर )	0.0902469

20	35	निजी	एग्रीकल्चर	0.22 (एकर )	0.0890328
21	36	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.051 (एकर )	0.0206394
22	40	निजी	एग्रीकल्चर	0.184 (एकर )	0.0744638
23	49	निजी	एग्रीकल्चर	1.014 (एकर )	0.4103602
24	73	सरकारी	रेसिडेंशियल	0.197 (एकर )	0.0797248
25	74	निजी	एग्रीकल्चर	0.5080005 (एकर )	0.2055848
26	75	निजी	एग्रीकल्चर	0.198 (एकर )	0.0801295
27	76	निजी	एग्रीकल्चर	0.231 (एकर )	0.0934844
28	81	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.1880001 (एकर )	0.0760826
<b>गांव का नाम: चाकुण्डा</b>					
29	174	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.13 (एकर )	0.0526103
30	175	निजी	एग्रीकल्चर	0.115 (एकर )	0.0465399
31	176	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.853 (एकर )	0.3452044
32	179	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.022 (एकर )	0.0089033
33	185	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.331 (एकर )	0.1339539
34	186	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.403 (एकर )	0.1630919
35	187	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.359 (एकर )	0.1452853
36	245	निजी	एग्रीकल्चर	0.053 (एकर )	0.0214488
37	297	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.358001 (एकर )	0.1448806
38	298	निजी	एग्रीकल्चर	0.091 (एकर )	0.0368272
<b>गांव का नाम: पारीखाती</b>					
39	75	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.4729988 (एकर )	0.1914205
40	96	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0109999 (एकर )	0.0044516
<b>गांव का नाम: कण्डाजामु</b>					
41	83	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.091 (एकर )	0.0368272
42	84	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0659999 (एकर )	0.0267098
43	85	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.1680001 (एकर )	0.0679887
44	86	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0940001 (एकर )	0.0380413
45	87	निजी	एग्रीकल्चर	0.111 (एकर )	0.0449211

गांव का नाम: ताण्डिकणा					
46	268	सरकारी	एग्रीकल्चर	1.36 (एकर )	0.5503845
47	269	निजी	एग्रीकल्चर	0.32 (एकर )	0.1295022
48	270	निजी	एग्रीकल्चर	0.186 (एकर )	0.0752732
49	271	निजी	एग्रीकल्चर	0.561 (एकर )	0.2270336
50	272	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (एकर )	0.0121408
51	275	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.468 (एकर )	0.189397
52	276	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.414 (एकर )	0.1675435
53	277	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.071 (एकर )	0.0287333
54	282	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.015 (एकर )	0.0060704
55	283	निजी	एग्रीकल्चर	0.046 (एकर )	0.0186159
56	284	निजी	एग्रीकल्चर	0.177 (एकर )	0.0716309
57	285	निजी	एग्रीकल्चर	0.079 (एकर )	0.0319709
58	286	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.41 (एकर )	0.1659247
59	289	निजी	एग्रीकल्चर	0.036 (एकर )	0.014569
60	290	निजी	एग्रीकल्चर	0.131 (एकर )	0.053015
61	291	निजी	एग्रीकल्चर	0.127 (एकर )	0.0513962
62	292	निजी	एग्रीकल्चर	0.031 (एकर )	0.0125455
63	293	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.1 (एकर )	0.0404695
गांव का नाम: पारला					
64	127	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.436 (एकर )	0.1764468
65	130	निजी	एग्रीकल्चर	0.074 (एकर )	0.0299474
66	131	निजी	एग्रीकल्चर	0.203 (एकर )	0.082153
67	132	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.099 (एकर )	0.0400648
68	133	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.755 (एकर )	0.3055443
69	134	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.727 (एकर )	0.2942129
70	135	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.596 (एकर )	0.2411979
71	143	निजी	एग्रीकल्चर	0.958 (एकर )	0.3876973

गांव का नाम: पालूपार्ई					
72	121	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.608 (एकर )	0.2460542
73	122	निजी	एग्रीकल्चर	0.028 (एकर )	0.0113314
74	123	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.115 (एकर )	0.0465399
75	124	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.137 (एकर )	0.0554431
76	125	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.098 (एकर )	0.0396601
77	126	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.176 (एकर )	0.0712262
78	57	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.229 (एकर )	0.092675
गांव का नाम: गुमूडा					
79	80/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.536 (एकर )	0.2169162
80	87	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.105 (एकर )	0.0424929
81	88	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.063 (एकर )	0.0254958
82	89	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.049 (एकर )	0.01983
83	93/1	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.408 (एकर )	0.1651153
84	96/113/159	निजी	एग्रीकल्चर	0.7 (एकर )	0.2832861
85	98	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.933 (एकर )	0.3775799
<b>Total</b>					<b>12.4022666</b>

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2026

**S.O. 1701(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH326 in the stretch of land for Widening & Strengthening of Existing 2 Lane to 2 Lane with Paved Shoulder from Km. 68.600 to Km. 162.700 & Km. 178.400 to Km. 183.732 in the district of RAYAGADA in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahsildar, Ramanaguda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard,

either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

#### Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH326 in the stretch of land from Km. 143 to Km. 162.7 (Ramanaguda) in the district of RAYAGADA in the state of ODISHA.

State: ODISHA			District: RAYAGADA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Ramanaguda</b>					
<b>Village: Antarjholi</b>					
1	66/2	Government	Agriculture	1.285 (Acre)	0.5200324
2	75	Private	Agriculture	1.62 (Acre)	0.655605
<b>Village: Gopalpur</b>					
3	214	Government	Agriculture	0.023 (Acre)	0.009308
4	215	Private	Agriculture	0.09 (Acre)	0.0364225
5	216	Private	Agriculture	0.023 (Acre)	0.009308
6	217	Government	Agriculture	0.797 (Acre)	0.3225415
7	218	Private	Agriculture	0.209 (Acre)	0.0845811
8	219	Private	Agriculture	0.24 (Acre)	0.0971267
9	223	Government	Agriculture	0.332 (Acre)	0.1343586
10	3/1	Government	Agriculture	1.844 (Acre)	0.7462566
<b>Village: Badabangi</b>					
11	143	Private	Agriculture	0.022 (Acre)	0.0089033
12	144	Government	Agriculture	3.472002 (Acre)	1.405099
13	242	Government	Non Agriculture	0.02 (Acre)	0.0080939
14	243	Government	Non Agriculture	0.0070001 (Acre)	0.0028329
15	29	Private	Agriculture	0.0090001 (Acre)	0.0036423
16	30	Private	Agriculture	0.6810002 (Acre)	0.2755969
17	31	Private	Agriculture	0.6309995 (Acre)	0.2553622
18	33	Private	Agriculture	0.003 (Acre)	0.0012141

19	34	Private	Agriculture	0.2230001 (Acre )	0.0902469
20	35	Private	Agriculture	0.22 (Acre )	0.0890328
21	36	Government	Agriculture	0.051 (Acre )	0.0206394
22	40	Private	Agriculture	0.184 (Acre )	0.0744638
23	49	Private	Agriculture	1.014 (Acre )	0.4103602
24	73	Government	Residential	0.197 (Acre )	0.0797248
25	74	Private	Agriculture	0.5080005 (Acre )	0.2055848
26	75	Private	Agriculture	0.198 (Acre )	0.0801295
27	76	Private	Agriculture	0.231 (Acre )	0.0934844
28	81	Government	Agriculture	0.1880001 (Acre )	0.0760826
<b>Village: Chakunda</b>					
29	174	Government	Agriculture	0.13 (Acre )	0.0526103
30	175	Private	Agriculture	0.115 (Acre )	0.0465399
31	176	Government	Non Agriculture	0.853 (Acre )	0.3452044
32	179	Government	Agriculture	0.022 (Acre )	0.0089033
33	185	Government	Non Agriculture	0.331 (Acre )	0.1339539
34	186	Government	Non Agriculture	0.403 (Acre )	0.1630919
35	187	Government	Non Agriculture	0.359 (Acre )	0.1452853
36	245	Private	Agriculture	0.053 (Acre )	0.0214488
37	297	Government	Agriculture	0.358001 (Acre )	0.1448806
38	298	Private	Agriculture	0.091 (Acre )	0.0368272
<b>Village: Parikhati</b>					
39	75	Government	Agriculture	0.4729988 (Acre )	0.1914205
40	96	Government	Agriculture	0.0109999 (Acre )	0.0044516
<b>Village: Kandajamu</b>					
41	83	Government	Agriculture	0.091 (Acre )	0.0368272
42	84	Government	Non Agriculture	0.0659999 (Acre )	0.0267098
43	85	Government	Non Agriculture	0.1680001 (Acre )	0.0679887
44	86	Government	Non Agriculture	0.0940001 (Acre )	0.0380413
45	87	Private	Agriculture	0.111 (Acre )	0.0449211

<b>Village: Tandikana</b>					
46	268	Government	Agriculture	1.36 (Acre )	0.5503845
47	269	Private	Agriculture	0.32 (Acre )	0.1295022
48	270	Private	Agriculture	0.186 (Acre )	0.0752732
49	271	Private	Agriculture	0.561 (Acre )	0.2270336
50	272	Private	Agriculture	0.03 (Acre )	0.0121408
51	275	Government	Non Agriculture	0.468 (Acre )	0.189397
52	276	Government	Non Agriculture	0.414 (Acre )	0.1675435
53	277	Government	Non Agriculture	0.071 (Acre )	0.0287333
54	282	Government	Non Agriculture	0.015 (Acre )	0.0060704
55	283	Private	Agriculture	0.046 (Acre )	0.0186159
56	284	Private	Agriculture	0.177 (Acre )	0.0716309
57	285	Private	Agriculture	0.079 (Acre )	0.0319709
58	286	Government	Non Agriculture	0.41 (Acre )	0.1659247
59	289	Private	Agriculture	0.036 (Acre )	0.014569
60	290	Private	Agriculture	0.131 (Acre )	0.053015
61	291	Private	Agriculture	0.127 (Acre )	0.0513962
62	292	Private	Agriculture	0.031 (Acre )	0.0125455
63	293	Government	Agriculture	0.1 (Acre )	0.0404695
<b>Village: Parala</b>					
64	127	Government	Agriculture	0.436 (Acre )	0.1764468
65	130	Private	Agriculture	0.074 (Acre )	0.0299474
66	131	Private	Agriculture	0.203 (Acre )	0.082153
67	132	Government	Agriculture	0.099 (Acre )	0.0400648
68	133	Government	Non Agriculture	0.755 (Acre )	0.3055443
69	134	Government	Non Agriculture	0.727 (Acre )	0.2942129
70	135	Government	Non Agriculture	0.596 (Acre )	0.2411979
71	143	Private	Agriculture	0.958 (Acre )	0.3876973
<b>Village: Palupai</b>					
72	121	Government	Agriculture	0.608 (Acre )	0.2460542
73	122	Private	Agriculture	0.028 (Acre )	0.0113314

74	123	Government	Non Agriculture	0.115 (Acre )	0.0465399
75	124	Government	Non Agriculture	0.137 (Acre )	0.0554431
76	125	Government	Non Agriculture	0.098 (Acre )	0.0396601
77	126	Government	Agriculture	0.176 (Acre )	0.0712262
78	57	Government	Agriculture	0.229 (Acre )	0.092675
<b>Village: Gumuda</b>					
79	80/3	Private	Agriculture	0.536 (Acre )	0.2169162
80	87	Government	Non Agriculture	0.105 (Acre )	0.0424929
81	88	Government	Non Agriculture	0.063 (Acre )	0.0254958
82	89	Government	Non Agriculture	0.049 (Acre )	0.01983
83	93/1	Government	Non Agriculture	0.408 (Acre )	0.1651153
84	96/113/159	Private	Agriculture	0.7 (Acre )	0.2832861
85	98	Government	Non Agriculture	0.933 (Acre )	0.3775799
<b>Total</b>					<b>12.4022666</b>

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A2]

SAIKH AMINKHAN, Director